झारखण्ड सरकार
झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, नामकुम, राँची।
फोन न0.0651.2261000, 2261856, 2261002 मेल आई0डी0–mdnhm-jh@jharkhandmail.gov.in

पत्रांक–9/RCH-463/2024- 1998 (MD) राँची, दिनांक– 25/5/26

प्रेषक,

अभियान निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

ऑपरेशन हेड,
Sammaan Foundation,
राँची, झारखण्ड।

विषय : 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा सुचारू रूप से संचालित नहीं करने के कारण एकरारनामा रद्द करते हुए सेवा समाप्ति की सूचना के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयंक के संबंध के सूचित करना है कि आपके द्वारा 108 आपातकालीन एम्बुलेंस का संचालन सुचारू रूप से नही करने के कारण झारखण्ड के जनमानस को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

1. आपके द्वारा झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित श्रम कानून का उल्लंघन किया जा रहा है तथा 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा में कार्यरत समस्त कर्मियों को झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित श्रम कानून के अनुरूप मानदेय नहीं प्रदान की जा रही है जिसके कारण कर्मियों द्वारा बार–बार कार्यालय को शिकायत प्राप्त हो रही है।
2. आपके द्वारा वैधानिक कानूनों यथा EPF & ESI लागू नही किया गया है तथा 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा में कार्यरत समस्त कर्मियों को EPF & ESI की सुविधा नहीं प्रदान की जा रही है।
3. आपके संस्था द्वारा कुप्रबंधन के कारण 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा में कार्यरत कर्मियों को मासिक मानदेय ससमय नही देने तथा अन्य संवैधानिक सुविधाएं नही प्रदान करने के कारण 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा में कार्यरत कर्मियों के द्वारा उच्च मनोबल से काम नहीं किये जाने के फलस्वरूप 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा के संचालन में बहुत ही खामियाँ प्रलक्षित हो रही है। जिससे झारखण्ड के जनमानस को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।
4. आपके सेवा त्रुटियों से संबंधित विभिन्न समाचार विभिन्न समाचार पत्रों/टी0वी0 में समय–समय पर प्रकाशित होते रहे है, जिससे संबंधित आपसे स्पष्टीकरण की भी पृच्छा की जाती रही है। जिनका उत्तर भी प्रायः असंतोषप्रद रहा है।
5. एकरारनामा में उल्लेखित कंडिका 10 के अनुरूप सभी वाहनों का Insurance आपके द्वारा कराया जाना है किन्तु 17 अप्रैल 2026 तक किसी भी वाहन का Insurance नही कराया गया था। उक्त हेतु आपको कई बार स्मारित किया गया है। जो आपके द्वारा किये गये एकरारनामा का स्पष्ट उल्लंधन है एवं किसी भी वाहन को बिना Insurance कराये सड़क पर चलाना दण्डनीय अपराध है। (Motor Vehicle Act-1988 की धारा–146 के अनुसार सभी वाहनों का Insurance कराना आवश्यक है।) उक्त एकरारनामा के कंडिका 10 में निम्न बातें उल्लेखित है :–

Para-10- Insurance & Work Safety

-501-

10.1 The Service Provider shall independently with respect to the scope of project under Contract: -

a) at its sole cost and expense, obtain, maintain, and keep in full force and effect parties and damage to Project Facilities etc.

b) Obtain and keep in force applicable insurance policies in accordance with the Applicable Laws, Circulars issued by the Government of Jharkhand. If any, and Good Industry Practice:

c) obtain and keep in force all the necessary insurances for its Service Provider's personnel in accordance with Applicable Laws and Good Industry practice:

d) Obtain insurance policies for the Equipment and bear all costs and expenses in respect of such insurances and shall also ensure that the Authority is the co-insured in such policies: and

e) Obtain and keep in force insurance policies for the Ambulances.

10.2 Proof of Insurance

(a) Service Provider shall provide to the Authority all certificates, documents and other proofs evidencing that the insurance which the Service Provider is obliged to procure under this contract have been procured and are in full force and effect.

10.3 Deductibles

(a) Any and all deductibles and all losses or damages in excess of insured limits in the insurance policies required under this Contract shall be to the account of the Service Provider, unless otherwise expressly stated in the Contract.

अतः उपरोक्त के आलोक में निदेशित किया जाता है कि 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा के एकरारनामा रद्द करते आपकी सेवा समाप्त किया जाता है एवं नये सेवा प्रदाता के चयन होने तक आप 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा को सुचारू रूप से संचालित करना सुनिश्चित करेंगे।

अनु0—यथोक्त।

विश्वासभाजन

25/5/2026

अभियान निदेशक

ज्ञापांकः— 1998 (MD) रॉंची, दिनांक— 25/5/26

प्रतिलिपि —

1. विभागीय मंत्री महोदय के आप्त सचिव, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

2026

अभियान निदेशक